

परियोजना का नाम:- क्यारी सुरकण्डा विद्युत लाईन का निर्माण

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमी पर अभी कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
विद्युत वितरण खण्ड
भरमुरी

वन प्रभागीय वनाधिकारी
भरमुरी वन प्रभाग, भरमुरी

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नई दिल्ली (दिल्ली गढ़वाल)

५५

प्रभागीय वनाधिकारी
भरमुरी वन प्रभाग, भरमुरी